



No.:NIIRNCD/Misc./Circular_Office_Order/2026/142

Date: 02/07/2026

परिपत्र
CIRCULAR

विषय: संस्थान की आधारभूत संरचना एवं प्रयोगशाला सेवाओं के उपयोग हेतु शुल्क निर्धारण के संबंध में।
Sub: Levy of Charges for Utilization of Institute Infrastructure and Laboratory Services – reg.

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थान की आधारभूत संरचना (Institute Infrastructure) के उपयोग हेतु शुल्क को अग्रिम रूप से (prospectively) निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के अधीन होगी। संस्थान की आधारभूत संरचना, जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल-I, कॉन्फ्रेंस हॉल-II तथा लॉन/गार्डन क्षेत्र सम्मिलित हैं, का आवंटन केवल उपलब्धता एवं स्वीकृत मानकों के अनुसार ही किया जाएगा।

It is informed to all concerned that the competent authority has approved the levy of charges prospectively for use of the Institute Infrastructure, subject to adherence of prescribed rules and regulations. The Institute Infrastructure, including Conference Hall-I, Conference Hall-II and Lawn / Garden Area, shall be allotted strictly as per availability and approved norms.

1. संस्थान की आधारभूत संरचना हेतु किराया शुल्क
Hiring Charges for Institute Infrastructure

संस्थान की आधारभूत संरचना के उपयोग हेतु स्वीकृत किराया शुल्क निम्नानुसार हैं:
The approved hiring charges for use of Institute Infrastructure are as under:

क्रम सं.	प्रकार / उपयोगकर्ता	कॉन्फ्रेंस हॉल-I (स्थायी बैठक क्षमता 70 व्यक्ति तक)	कॉन्फ्रेंस हॉल-II (क्षमता 150 व्यक्ति तक – लचीली बैठक व्यवस्था)	लॉन / गार्डन क्षेत्र
1	सरकारी संगठन (स्वायत्त निकाय एवं पीएसयू सहित)	15,000/-	25,000/-	20,000/-
2	निजी संस्थान / फर्म	25,000/-	40,000/-	30,000/-

टिप्पणी / Note:

- कॉन्फ्रेंस हॉल-II की क्षमता बैठक व्यवस्था के अनुसार परिवर्तनीय होगी तथा वास्तविक अधिकतम क्षमता का निर्धारण तदनुसार किया जाएगा।
The capacity of Conference Hall-II may vary depending on the seating layout, and the actual maximum occupancy shall be determined accordingly.
- निजी एजेंसियों द्वारा बुकिंग के दौरान कॉन्फ्रेंस हॉल-I, कॉन्फ्रेंस हॉल-II एवं गार्डन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, यूनियन अथवा समान गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
No political, religious, union or similar activities shall be permitted in Conference Hall-I, Conference Hall-II and Garden Area when booked by private agencies.

2. छात्र भ्रमण / एक्सपोजर शुल्क
Student Visit / Exposure Charges

यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि कोई विद्यालय / संगठन / संस्थान संस्थान की उपकरण/प्रयोगशाला सुविधाओं का भ्रमण करना चाहता है, तो प्रति छात्र 250/- रुपये शुल्क लिया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:



It has also been decided that if any School / Organization / Institute wishes to visit the Instrumentation / Laboratory facilities of the Institute, a fee of Rs. 250/- per student shall be charged, subject to the following conditions:

- समयवधि: अपराह्न 3:00 बजे से 5:00 बजे तक Time Window: 3:00 PM to 5:00 PM
- अधिकतम समूह आकार: 120 विद्यार्थी Maximum batch size: 120 students

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This circular is issued with the approval of the competent authority.

पारस त्यागी / Paras Tyagi

प्रशासनिक अधिकारी / Administrative Officer

कृते निदेशक / For Director

प्रतिलिपि / Copy to:

1. निजी सहायक, निदेशक, आईसीएमआर-एनआईएचआर, जोधपुर।
PA to Director, ICMR-NIHR, Jodhpur.
2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / लेखा अधिकारी, आईसीएमआर-एनआईएचआर, जोधपुर।
Senior Administrative Officer / Accounts Officer ICMR-NIHR, Jodhpur.
3. स्टोर, आईसीएमआर-एनआईएचआर, जोधपुर।
Store, ICMR-NIHR, Jodhpur.
4. आईटी सेल – संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
IT Cell – for uploading on the Institute website.
5. गार्ड फाइल।
Guard File.